

# वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

## अनुमति-पत्र

सं० ०४ / जो० अ०

दिनांक 31/10/20

### गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री सिद्दा मोमोतेल उ० लि० कम्पनी ज० रि०  
पिता/पति का नाम श्री एच. हरिचरण दास उ० क० आराजी संख्या 64965 मौजा सदमलपुर  
वार्ड शिवापुर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20



Mf

कृते उपाध्यक्ष

वाराणसी विकास प्राधिकरण

वाराणसी

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप, नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर .....दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

8- स्वीकृत मानचित्र का विवरण  
 (क) भू-खण्ड का कुल क्षेत्रफल.....  
 (ख) भू-उपयोग.....  
 (ग) मागाधिकार का क्षेत्रफल..... चौड़ाई.....  
 (घ) वास्तविक भू-खण्ड का क्षेत्रफल.....  
 (ङ) तलों की संख्या.....  
 (च) सेंटबैक फन्ट.....  
 रियर.....  
 साइड-1.....  
 साइड-2.....

### शर्तें

1. भवन पूर्ण होने के पश्चात पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
2. स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा जिसपर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
3. स्थल पर 50 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण करना होगा।
4. आन्तरिक विकास कार्य 20 प्रतिशत बन्धक विक्रय योग्य भूमि को विकास कार्य पूर्ण होने पश्चात् अवमुक्त किया जायेगा।
5. फोटो वोल्टाइक पैनल की स्थापना करना होगा तथा पैसेज, गार्डन, स्ट्रीट लाईट आदि में कनेक्शन देने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
6. भवन ऊंचाई 30 मीटर से अधिक है। इसलिए प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था मैकेनिकल करना होगा।
7. बेसमेन्ट में प्रकाश एवं संवातन के लिए मैकेनिकल व्यवस्था करना होगा तथा जल निकासी के लिए बेसमेन्ट में फ्लोट पम्प लगाना होगा।
8. मुख्य अग्निशमन विभाग के द्वारा जारी किये एन0ओ0सी0 पर अंकित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
9. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की डिजाइन वाटर ग्राउण्ड बोर्ड के डिजाइन के अनुसार कराकर आर्किटेक्ट के सत्यापन के पश्चात ही पूर्णता पत्र निर्गत किया जायेगा।
10. स्थल पर पी0एन0जी गैस हेतु प्राविधान करना होगा और उपलब्धता होने पर कनेक्शन लेना होगा।
11. एन0जी0टी0 के शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
12. E.C.B.C. 2019 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार भूखण्ड पर पूर्ण रूप से पालन करते हुए संयंत्र स्थापित करना होगा।
13. भू-स्वामित्व सम्बन्धी रास्ता सम्बन्धी बटवारा सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में मानचित्र अस्वीकार माना जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
14. यदि भविष्य में कोई देयता निकलती है तो आपको जमा करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. रेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।